उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-24/2019/813(1)/30-3-19-10बी/2018

लखनऊ, दिनॉक 28 मार्च, 2019

संशोधन/शुद्धि-पत्र

पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि को सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर की भूमि क्रय के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-23/2019/813/30-3-19-10बी/2018 दिनांक 27-03-2019 निर्गत किया गया है, जिसमें प्रस्तर-1 की पॉचवी पक्ति में दिनांक 07.03.2019 के स्थान पर 03.03.2019 तथा छठवीं पंक्ति में दिनांक 19-03-2019 के स्थान पर दिनांक 10-03-2019 तथा प्रस्तर-1 के सातवीं पक्ति में (रू० दो करोड़ तेरह लाख आठ हजार मात्र) के स्थान पर (रू० दो करोड़ तेरह लाख आठ सौ मात्र) त्रुटिवश अंकित हो गया है।

अत: शासनादेश दिनांक 27-03-2019 के प्रस्तर-1 की पॉचवी पक्ति में दिनांक 03.03.2019 के स्थान पर दिनांक 07.03.2019 तथा छठवीं पंक्ति में दिनांक 10-03-2019 के स्थान पर दिनांक 19-03-2019 तथा प्रस्तर-1 की सातवीं पक्ति में (रू० दो करोड़ तेरह लाख आठ सौ मात्र) के स्थान पर (रू० दो करोड़ तेरह लाख आठ हजार मात्र) **पढ़ा जाय।**

2- उक्त शासनादेश दिनांक 27.03.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

ह०/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

संख्या-24/2019/813(2)/30-3-2019, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in